FIRST INFORMATION REPORT <u>(प्रथम सूचना रिपोर्ट)</u> (Under Section 154 Cr.P.C) (दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

- जिला : पंचकूला, थाना : राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला, वर्ष : 2018, प्र0सु0रि0स0 : 01 दिनांक : 30.03.2018.
- 2. धाराधीन : 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B IPC and 13(1)(c), 13(1)(d)(ii), read with 13(2) P.C Act, 1988.
- **3**. (क) अपराध की घटना : **वर्ष 2014–15, 2015–16**
 - (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 30.03.2018 समय 7.20 पी0एम0।
 - (ग) रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्यां : 11
- 4. सूचना का प्रकार : लिखित।
- 5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : पूर्व दक्षिण दिशा में करीब 2 कि0मी0।
- 6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता :
 - नाम : श्री सुरेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक।
 - पिता का नाम :
 - राष्ट्रीयता ः भारतीय।
 - व्यवसाय : सरकारी नौकरी।
 - पता : थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला।
- 7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : अधिकारी / कर्मचारी प्राईमरी शिक्षा विभाग ।
- **8.** लिंग ः **पुरूष।**
 - भाषा ः **हिन्दी।**
- 9. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : कोई देरी नहीं।
- 10. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :- सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर-17, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा IOIN-LPA No. 1391 of 2015 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2017 की अनुपालना में जांच क्रमांक

04 दिनांक 12.05.2017 / रोहतक दर्ज की गई थी जिसमें समस्त हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में लगभग चार लाख छात्रों की अधिक संख्या दिखाकर उन्हे दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशी के गबन व अध्यापकों की आवश्यकता दिखाने की जांच की जानी थी। इस जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया तथा विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच में पाया गया कि on the basis of data provided by the Elementary School Education Department itself, it is a clear case of fake enrolment of students- because in Elementary Education Department, due to no-retention policy and non-striking off names of students due to absence, there cannot be any reasons for such huge difference in the numbers of students in the next academic session. For the transfer cases/school leaving certificate cases and drop-out cases, there must be entry in the record of the school. In the absence of any such explanation, this is a clear case of criminal breach of trust (by misappropriation of funds of various students-related schemes) and fabrication of official record by the concerned public servants.

Physical verification of record of one Primary/Elementary school in each district in their jurisdiction was got done by the three SsP of State Vigilance Bureau Ranges Rohtak, Hisar and Gurugram on random basis. In the 5 schools of Rohtak Range difference of 472 number of students was found during the check- period. Similarly in the 5 schools of Hisar Range difference of 581 number of students was found and in 6 Schools of Gurugram Range, difference of 589 number of students was found. Such huge difference is without any explanation. The names of students have been shown to have been struck-off due to long-absence, whereas there was policy of non-striking of the names. Moreover, the address of the students are incomplete, rendering their physical verification impossible

As per the information given by Elementary Education Department through their officers Sh. R.P. Sangwan, Joint Director, Elementary Education, Haryana and Sh. Dilbagh Singh, Joint Director, O/O Director Elementary Education Haryana who appeared before the SIT, after computerization i.e. feeding of Aadhar numbers and Bank Account with Student IDs, a huge number of discrepancy in records of enrolment of students was found which was compiled at the block level. This shows that fictitious student had been enrolled in various schools. Now comes the motive for such fictitious enrolments. The perusal of various schemes of the Education Department makes it clear that several benefits were being given in cash and in kind to students so enrolled. Hence, a larger number of students would mean that much more amount as grant available to Principals and other officials within the system. So, the motive is also established and it is established that a large amount of money sanctioned for various schemes for students was embezzled and misappropriated. Thus the Crime is complete.

Further it needs to be clarified as to who benefited from the such embezzlement and to what extent. The study of the systems by which such money was disbursed shows the route beginning from the department of Elementary Education through DEOs to principals of each school. This is a large network of officers and officials of the Department of Education. It is therefore, imperative, then that detailed and correct investigation be done to examine the role of those who have indulged in criminal practices and separate those who have acted in good faith. इस रिपोर्ट में a case u/s 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B, IPC and section 13(1)(c), 13(1)(d)(ii), read with 13(2) of P.C. Act दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। विशेष जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 07.03.2018 को राज्य चौकसी ब्यूरो, मुख्यालय, पंचकूला में प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला ने अपनी टिप्पणी पत्र क्रमांक 3497 / रा0चो0ब्यूरो(ह0) दिनांक 20.03.2018 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र कमांक 63 / 33 / 17–VII दिनांक 28.03.2018 अनुसार अनुमोदित हो कर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में प्राप्त हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा उपल्बध करवाये गये वर्ष 2014–15 व 2015–16 के आंकड़ों में अन्तर हरियाणा के सभी जिलों में पाया जाने पर महानिदेशक. ब्यूरो, हरियाणा, ने राज्य चौकसी पंचकूला अपने पत्र क्रमांक 3843-50/आई-6/रा0चौ0ब्यूरो0 दिनांक 30.03.2018 के अनुसार पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरूग्राम तथा फरीदाबाद को अपने-अपने थाना क्षेत्र के अधीन हुए अपराध के सम्बन्ध में अलग–2 मुकदमें दर्ज करने हेतू जांच रिपोर्ट भेजी है जिस पर अधिकारी/कर्मचारी प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा व अन्य के विरूद्ध जेर धारा 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B, IPC and section 13(1)(c), 13(1)(d)(ii), read with 13(2) of P.C Act 1988 के तहत लेख मुकदमा दर्ज करने के लिए दी जा रही है। बाद करने दर्ज मुकदमा नकल प्रथम सुचना रिपोर्ट बजरिया स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्टेट्र को भिजवाई जावे। मुकदमा की आगामी तफतीश के लिये मिसल मुकदमा अफसरान बाला के आदेशानुसार हवाले निरीक्षक सुरेश कुमार न0 191/एच0ए0पी0 थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला के हवाले की जाये। अजः थाना। हस्ताक्षर सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला, दि0 30.03.2018 at 7.20 PM. अज थाना :– उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 01 दिनांक 30.03.2018 घारा 167, 218, 409, 418, 420, 477-A, 120-B, IPC and section 13(1)(c), 13(1)(d)(ii), read with 13(2) P.C Act 1988 दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल मैसेन्जर ई0ए0एस0आई0 ऋषि पाल न0 453/पंचकूला के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में मिजवाई जा रही है। असल तहरीर मय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां मन निरीक्षक ने अदिशानुसार बाला के आदेशानुसार आगमी तफतीश व विधि अनुसार किया गया।

- 10. अनुसंधान अधिकारी :- निरीक्षक सुरेश कुमार न0 191 / एच0ए0पी0, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर–17, पंचकूला।
- 11. ईलाका मैजीस्ट्रेट :- पंचकूला।
- 12. बदस्त :- ई0ए0एस0आई0 ऋषि पाल न0 453/पंचकूला।

हस्ता :–

(नि0 सुरेश कुमार न0 191/HAP), थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर—17, पंचकूला।